

## जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावों

### राष्ट्रीय लोक अदालत ( 10.02.2018)

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, सरायकेला-खरसावों द्वारा निःशुल्क, सुलभ एवं त्वरित न्याय के लिए "राष्ट्रीय लोक अदालत " दिनांक 10.02.2018 को आयोजित होना निर्धारित है ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली, के निर्देशानुसार झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावों द्वारा आयोजित की जाने वाली उक्त "राष्ट्रीय लोक अदालत " में Criminal compoundable cases N. I. Act 138 MACT Cases, Accident Cases, Matrimonial/Family Courts cases, Labour Disputes, Land Acquisition cases Civil cases, Bank Recovery, Revenue cases, MNREGA, Electricity & Water Bills, Sales Tax, Income Tax, Forest Act cases संबंधी मामले, निष्पादित किए जाएंगे ।

अतः आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 10.02.2018 प्रातः 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय, सरायकेला में उपस्थित होकर अपने मामले का निष्पादन करावें ।

श्री छवि रंजन

उपायुक्त-सह-उपाध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,  
सरायकेला-खरसावों ।

श्री शिव शरण दुबे

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,  
सरायकेला-खरसावों ।

नोट :- उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु आप कार्य दिवस के दिन प्रातः 11:00 बजे से अप0 1:30 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय सरायकेला-खरसावों में उपस्थित होकर श्री कुलदीप, (06597-234-092), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावों से सम्पर्क कर सकते हैं ।